

## प्रेस नोट थाना चौरी चौरा दिनांक 02-11-2020

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविन्द कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा श्री दिनेश कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार त्रिपाठी थाना चौरी चौरा, गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उ०नि० शेषनाथ यादव मय पुलिस टीम के द्वारा दबिश के दौरान थाना स्थानीय के मु०अ०सं० 768/20 धारा 306 भा०द०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त सिन्टू राउत पुत्र हरिलाल निवासी चौरी खास टोला बदुरहिया थाना चौरी चौरा गोरखपुर को दिनांक 02.11.2020 समय 11.15 बजे बदुरहिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त सिन्टू राउत उपरोक्त को धारा 306 भा०द०वि० में जेल भेजा गया।

**गिरफ्तारी का विवरण निम्न प्रकार है –**

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –** सिन्टू राउत पुत्र हरिलाल निवासी चौरी खास टोला बदुरहिया थाना चौरी चौरा गोरखपुर

**गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक –** बदुरहिया चौराहा थाना चौरी चौरा गोरखपुर दिनांक 02.11.2020 समय 11.15 बजे

**जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया है –**

1. मु०अ०सं० 768/20 धारा 306 भा०द०वि० थाना चौरी चौरा गोरखपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस कर्मी –**

1. श्री शेषनाथ यादव थाना चौरी चौरा, गोरखपुर
2. का० मनीष कुमार यादव थाना चौरी चौरा, गोरखपुर
3. का० अजय कुमार थाना चौरी चौरा, गोरखपुर